



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 15.07.2024

1. थाना जेवर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से 6 चोरी की मोटर साईकिल बरामद।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-- थाना जेवर पुलिस द्वारा दिनांक 15/07/2024 को चौरोली अण्डरपास से 03 अंतर्राज्यीय वाहन चोरो को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे व निशादेही पर 06 चोरी की मोटर साईकिल बरामद की गयी। बरामदा मोटर साईकिल हीरो स्पैलण्डर रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी 16 सीपी 2131 थाना जेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2024 धारा 303(2) बीएनएस व मोटर साईकिल हीरो स्पैलण्डर रजिस्ट्रेशन नं0 डीएल 5 एससीएल 6944 मु0अ0सं0 236/2024 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है व मोटर साईकिल अपाचे रंग सफेद रजिस्ट्रेशन नम्बर डीएल 3 एसडीजे 2793 मु0अ0सं0 614/2024 धारा 379 भादवि थाना पल्ला जिला फरीदाबाद हरियाणा व मोटर साईकिल स्पैलण्डर रजिस्ट्रेशन नं0 डीएल 3एसईटी 5525 मु0अ0सं0 26921/2022 धारा 379 भादवि थाना क्राईम ब्रान्च एन्टी थैफ्ट साकेत दिल्ली से सम्बन्धित है। शेष 02 बरामद शुदा चोरी की मोटर साईकिल अन्य राज्यों से सम्बन्धित है, जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह है जिसके अन्य सदस्यों के बारे में व चोरी के वाहन खरीदने वालों की गहन जांच कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण व आपराधिक इतिहास

1. यशवीर पुत्र विनोद कुमार नि0 भोल्डा थाना बागपुर जिला पलवल हरियाणा

1. मु0अ0सं0 238/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 236/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 226/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 26921/2022 धारा 379 भादवि थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
5. मु0अ0सं0 614/2024 धारा 379 भादवि थाना पल्ला फरीदाबाद हरियाणा

2. धर्मेन्द्र उर्फ लाला पुत्र किरनपाल नि० भोल्डा थाना बागपुर जिला पलवल हरियाणा

1. मु०अ०सं० 238/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस ताना जेवर गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०सं० 236/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०सं० 226/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
4. मु०अ०सं० 26921/2022 धारा 379 भादवि थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
5. मु०अ०सं० 614/2024 धारा 379 भादवि थाना पल्ला फरीदाबाद हरियाणा

3. टिकू पुत्र हरकेश नि० भोल्डा थाना बागपुर जिला पलवल हरियाणा

1. मु०अ०सं० 238/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०सं० 236/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०सं० 226/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
4. मु०अ०सं० 26921/2022 धारा 379 भादवि थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
5. मु०अ०सं० 614/2024 धारा 379 भादवि थाना पल्ला फरीदाबाद हरियाणा

4. राकेश पुत्र गोपाल नि० भोल्डा थाना बागपुर जिला पलवल हरियाणा (फरार)

1. मु०अ०सं० 238/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०सं० 236/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०सं० 226/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर
4. मु०अ०सं० 26921/2022 धारा 379 भादवि थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
5. मु०अ०सं० 614/2024 धारा 379 भादवि थाना पल्ला फरीदाबाद हरियाणा

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटर साईकिल स्पैलण्डर रजि नं० **UP16CP2131** व चैचिस नम्बर **MBLHAW125LHB85836** जिस पर फर्जी नम्बर **UP81CF0721** जो थाना जेवर पर मु०अ०सं० 226/2024 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है
2. एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर रजि नं० **DL5SCL6944** व चैचिस नं० **MBLHAW125LHF77098** जिस पर फर्जी नम्बर **HR30S8906** लिखा है जो थाना जेवर पर मु०अ०सं० 236/2024 धारा 303(2) बीएनएस सम्बन्धित है।

3. एक मोटर साईकिल अपाचे रंग सफेद रजि0 नं0 **DL 3SDJ2793** चैचिस नम्बर **MD634KE42G2G78431** जिस पर फर्जी नम्बर **UP85AQ1871** लिखा है जो फिरान पुत्र जयहिन्द नि0 ओखला दिल्ली के नाम पंजीकृत है जिसके सम्बन्ध मे थाना पल्ला जिला फरीदाबाद हरियाणा पर मु0अ0सं0 614/2024 पंजीकृत है ।
4. एक मोटर साईकिल एफ.एफ डिलक्स रजि0 नं0 **HR51BM1236** चैचिस नं0 **MBLHA11ATG9K37273** है जिस पर फर्जी नम्बर **UP85BM5748** अंकित है जिसका पंजीकृत स्वामी रंजीत कुमार भारती है ।
5. एक मोटर साईकिल स्पैलण्डर रजि0 नं0 **DL3SET5525** चैचिस नं0 **MBLHAW124MHA56486** है जिस पर फर्जी नम्बर **DL5SCL7486** अंकित है जिसका पंजीकृत स्वामी प्रिन्स पुत्र जय कुमार नि0 पुष्पा विहार दिल्ली का रहने वाला है जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 26921/2022 क्राइम ब्रान्च ई स्टेशन एन्टी थैप्ट साकेत दिल्ली मे पंजीकृत है ।
6. एक मोटर साईकिल एच.एफ डिलक्स रजि0 नं0 **MP16ZC1303** चैचिस नं0 **MBLHAC093P5F00377** है जिस पर कोई नम्बर प्लेट नहीं है जिसका पंजीकृत स्वामी रेखा है।

2.थाना इकोटेक-03 पुलिस द्वारा शादी समारोह आदि से छोटे बच्चो से रूपये/आभूषण चोरी कराने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया है। कब्जे से चोरी के 20,000/- रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.07.2024** को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये शादी समारोह आदि से छोटे बच्चो से रूपये/आभूषण चोरी कराने वाले अभियुक्त नितेश सिसोदिया को सूरजपुर टैम्पो स्टैंड से **गिरफ्तार** किया गया है तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 20,000/- रूपये नगद व अन्य सामान बरामद हुआ।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त गरीब परिजनो को रूपयो का लालच देकर उनके कम उम्र के बच्चो से बड़े-बड़े बैंकेट हॉल/शादी के मंडप आदि मे बच्चो को नये कपडे पहनाकर भेजते है ताकि कोई उन पर शक ना करे कि यह बच्चा कही बाहर से आया है। बच्चो को समझाकर भेजते है कि कार्यक्रम मे जिसके पास बडा बैग या थैला होता है उसे चोरी करा लेते है और बच्चो पर कोई शक भी नही करता है। इसी क्रम मे अभियुक्त द्वारा 01 छोटे बच्चे/बाल अपचारी से दिनांक 12.07.2024 को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र स्थित गोल्डन ड्रीम बैंकेट हॉल से 50000/- रूपये भरा हुआ बैग चोरी कराया था ।

अभियुक्त का विवरण--

1. नितेश सिसोदिया पुत्र उमेश सिसोदिया, उम्र करीब 30 वर्ष पता ग्राम कडिया थाना पचौर जिला राजगढ़ म0प्र0
2. एक बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-275/2024 धारा 303(2)/95 बीएनएस थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश
2. मु0अ0सं0 94/2015 धारा 379 भादवि थाना नहान जनपद सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
3. मु0अ0सं0 03/2016 धारा 379 भादवि थाना तारानगर जनपद चुरू, राजस्थान
4. मु0अ0सं0 138/2017 धारा 294/323/506/34 भादवि थाना बोडा जनपद राजगढ़, मध्य प्रदेश
5. मु0अ0सं0 256/2021 धारा 392/411 भादवि थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश
6. मु0अ0सं0 269/2021 धारा 307/34 भादवि थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश

3. अपराध शाखा टीम गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर असली बीमित व्यक्तियों के नाम पोर्टल से हटा कर फर्जी बीमित व्यक्तियों के नाम डालकर एसएसटी उपचार का लाभ प्राप्त करके लगभग 40 लाख रुपये का राज्य कर्मचारी बीमा निगम का पैसा हडपने वाला राज्य कर्मचारी बीमा निगम का लिपिक गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 15.07.2024 को अपराध शाखा टीम गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर असली बीमित व्यक्तियों के नाम पोर्टल से हटा कर फर्जी बीमित व्यक्तियों के नाम डालकर एसएसटी उपचार का लाभ प्राप्त करके लगभग 40 लाख रुपये का राज्य कर्मचारी बीमा निगम का पैसा हडपने वाला राज्य कर्मचारी बीमा निगम का लिपिक रजत भारती पुत्र श्री चतर सिंह को बाद पूछताछ साक्ष्य मिलने के उपरांत थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण-- अभियुक्त रजत भारती पुत्र श्री चतर सिंह निवासी डी-ब्लॉक गली नं0 7 मकान नं0 111-7 दयालपुर दिल्ली-94 राज्य कर्मचारी बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा में अवर श्रेणी लिपिक के पद कार्यरत रहते हुये अपने निजी लाभ हेतु असली बीमित व्यक्ति का नाम अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड का इस्तेमाल करके पोर्टल पर

हटाकर फर्जी व्यक्तियों के नाम डाल कर सुपर स्पेशल ट्रीटमेंट (एस०एस०टी०) उपचार कराया जाता था तथा रजत भारती उपरोक्त द्वारा बीमार व्यक्तियों से खुद पैसा लेकर राज्य कर्मचारी बीमा निगम के द्वारा पैनेल के अस्पतालों का पेमेंट ई०एस०आई०सी० द्वारा कराता था।

अभियुक्त का विवरण--

1. रजत भारती पुत्र श्री चतर सिंह निवासी डी-ब्लॉक गली नं० 7 मकान नं० 111-7 दयालपुर दिल्ली-94

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु०अ०सं०-279/2019, धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा